न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः—(दिव्या) RAS

प्रकरण संख्याः—128 / 2024

वादपत्र अन्तर्गत धाराः— 88 आर.टी.ए.

मकबूल मोहम्मद पुत्र गुलाम मोहम्मद जाति राठ मुसलमान निवासी चक 37 एन.जी.सी. ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)

—: वादी

बनाम्

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ जिला हनुमानगढ

—: प्रतिवादी

उपस्थित :—

1. श्री सुरेन्द्र सिहाग — अधिवक्ता वादी
2. श्री राजपैरोकार — प्रतिवादी

—:निर्णयः—

दिनांक ....

अधिवक्ता वादी द्वारा यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के नाम चक 37 एनजीसी के खाता सं. 59 / 63, 27 / 28, 7 / 67, में वादी का नाम मकबूल दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जबकि वादी का सही नाम मकबूल मोहम्मद है साक्ष्य के तौर पर अपने पुत्र नसीम अकरम का आधार कार्ड जिसमें वल्दियत में मकबूल मोहम्मद, स्वयं का मूल निवास प्रमाण पत्र, स्वयं का आधार कार्ड 5044—5190—6824 चालक अनुज्ञा पत्र संलग्न वाद पत्र किए जिसमें वादी का नाम मकबूल मोहम्मद अंकित है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के अनुतोष में चक 37 एनजीसी खाता सं. 59 / 63 जमाबंदी संवत 2075—78, इसी चक के खाता सं. 27 / 28 जमाबंदी संवत 2075—78 व इसी चक के खाता सं. 7 / 67 जमाबंदी संवत 2075—78 में वादी का नाम मकबूल की जगह मकबूल मोहम्मद दर्ज राजस्व रिकार्ड करने का अनुतोष चाहा है।

≈ वाद—पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तहसीलदार हनुमानगढ से मौका व तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार हनुमानगढ के पत्रांक भू.अ. / 2024 / 1593 दिनांक 02.05. 2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें संलग्न दैनिक डायरी पटवार हल्का सतीपुरा दिनांक 23.04.2024 का अवलोकन किया गया। मजमे आम तैयार दैनिक डायरी में हल्का पटवारी द्वारा अंकित किया गया है कि मकबूल व मकबूल मोहम्मद एक ही व्यक्ति के नाम है। वादी द्वारा अपने अनुतोष के समर्थन में शामिल मिसल दस्तावेज यथा वादी पुत्र नसीम अकरम का आधार कार्ड जिसमें वल्दियत में मकबूल मोहम्मद, वादी का मूल निवास प्रमाण पत्र, वादी का आधार कार्ड 5044—5190—6824 व चालक अनुज्ञा पत्र का अवलोकन किया जिसमें वादी का नाम मकबूल मोहम्मद अंकित है। बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। वाद पत्र मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—::क्रियात्मक आदेशः:—

अतः वादी वाद अंतिम डिक्री किया जाता है किः— चक 37 एन.जी.सी. खाता सं. 59 / 63 जमाबंदी संवत 2075—78, इसी चक के खाता सं. 27 / 28 जमाबंदी संवत 2075—78 व इसी चक के खाता सं. 7 / 67 जमाबंदी संवत 2075—78 में वादी का नाम मकबूल की जगह मकबूल मोहम्मद दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे व इसी अनुसार अमलदरामद कर राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती के आदेश दिए जाते है। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.06.06 09:28:16 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः–(दिव्या) RAS

प्रकरण संख्याः–128/2024

मकबूल मोहम्मद पुत्र गुलाम मोहम्मद जाति राठ मुसलमान निवासी चक 37 एन.जी.सी. ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)

–: वादी

बनाम्

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ जिला हनुमानगढ

–: प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धाराः– 88 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ दिव्या आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री सुरेन्द्र सिहाग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री राज पैरोकार मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है किः– चक 37 एन.जी.सी. खाता सं. 59/63 जमाबंदी संवत 2075–78, इसी चक के खाता सं. 27/28 जमाबंदी संवत 2075–78 व इसी चक के खाता सं. 7/67 जमाबंदी संवत 2075–78 में वादी का नाम मकबूल की जगह मकबूल मोहम्मद दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे व इसी अनुसार अमलदरामद कर राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो आदेश की पालना की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज XXX नल XXX मुब्लिक XXX निल XXX बाबत् XXX निल XXX खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक XXX अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक .... को जारी किया गया।

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.06.06 09:28:16 IST
Reason: SelfAttested